उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-91/2017/640/92-2-17-16जांच/2014

लखनऊ:: दिनांक:: 15 जून,2017

कार्यालय-ज्ञाप

श्री आनंद राजा, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-इटावा व औरैया द्वारा अपने प्रखण्ड-इटावा व औरैया के कार्यकाल में वर्ष 2009-10 के डॉ0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजनान्तर्गत टी0ए0सी0 द्वारा रू0 50,96,588.81, रू0 97,691.50 तथा रू0 2,37,667.00 का अनियमित अनुबंध गठन करने एवं अनियमित भुगतान करने के फलस्वरूप हुई शासकीय क्षति के लिये दोषी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-853/92-2-15-16जांच/2014 दिनांक 10-08-2015 द्वारा उनके विरूद्व सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए उक्त जॉच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (पूर्वी क्षेत्र) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता (पूर्वी क्षेत्र) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-2310/ग्रा0अ0वि0/अनु0जां0/पत्र सं0-/2015-16 दिनांक 30-06-2016 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कोई भी आरोप स्थापित नही पाया गया परन्तु कतिपय जिज्ञासाओं के निराकरण हेतु शासन के पत्र संख्या-1609/92-2-16-16जांच/2014 दिनांक 15-12-2016 द्वारा जॉच अधिकारी को परीक्षण कर पुन: जॉच आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। जॉच अधिकारी के पत्र संख्या-491/ ग्रा0अ0वि0/ अनु0जां0/के0एन0बेग/पत्रा0-एस0टी0-63/2016-17 दिनांक 24-03-2017 द्वारा नवीन जॉच आख्या उपलब्ध करायी गयी।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित 02 आरोपों में से कोई भी आरोप स्थापित न पाये जाने के फलस्वरूप शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-853/92-2-15-16जांच/ 2014 दिनांक 10-08-2015 द्वारा श्री आनंद राजा, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, (सम्प्रति सेवानिवृत्त) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-इटावा/औरैया के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को एतदद्वारा बिना दण्ड के समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-91/2017/640/(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

2- श्री आनंद राजा, तत्कालीन अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल- फैजाबाद (सम्प्रति सेवानिवृत्त) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता (पू0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।